सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः- 67/प्रेसनोट/2021 **08 फरवरी 2021**

प्रेस नोट

थाना-कोतवाली

सुनसान देखकर राहगिरो से लूट करने वाले अभियुक्तगण अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश कुमार तिवारी के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कृष्ण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में थाना कोतवाली पर अलग–अलग टीम बनाकर क्षेत्र में हो रहे अपराध व अपराधियो की धड़ पकड़ करने हेतु लगातार भ्रमणशील रहकर संन्दिग्ध व्यक्ति / वाहनो की चेकिंग की जा रही थी कि उसी दौरान सूचना प्राप्त हुई कि हाफिजपुर पेट्रोल पम्प के पास दो शातिर बदमाश खड़े है जो किसी बड़ी घटना के फिराक में है तथा उसके पास असलहा भी है। इस सूचना पर थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार हाफिजपुर पेट्रोल पम्प के पास जैसे ही पहुंची कि दो व्यक्ति खड़े दिखायी दिये। पुलिस टीम द्वारा खड़े दोनो व्यक्तियो को हिकमत अमली से घेरकर गिरफ्तार किया गया। नाम पता पुछने पर उन्होने 1. विरेन्द्र कुमार पुत्र जिलेदार यादव सा0 ग्राम फत्तेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ 2. अमरजीत कुमार पुत्र नन्दलाल सा0 ग्राम फत्तेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ बताया। मौके पर तलाशी से अभियुक्तगण के पास से एक अदद मोटर साईकिल तथा एक अदद देशी तमंचा .315 बोर , 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्तगण से कड़ाई से पुछताछ करने पर बताये कि दिनांक 07.02.2021 को पीएसी मोड़ के पास हम लोगो ने मोबाईल लूट का प्रयास किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 39/2021 धारा 393 IPC पंजीकृत किया गया था । पुनः आज भी किसी राहगीर से लूटने के फिराक में यहा मौजूद रहकर रैकी कर रहे थे कि आप लोगो द्वारा पकड़े गये। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 40/2021 धारा 3/25 A. Act. पंजीकृत कर अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1. मु0अ0सं0 39/2021 धारा 393 IPC थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 40/2021 धारा 3/25 A. Act. थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. विरेन्द्र कुमार पुत्र जिलेदार यादव सा0 ग्राम फत्तेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ
2. अमरजीत कुमार पुत्र नन्दलाल सा0 ग्राम फत्तेपुर थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ

बरामदगी

1. एक अदद मोटर साईकिल
2. एक अदद देशी तमंचा .315 बोर, 1 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाले टीम

1. अनिल कुमार मिश्रा चौ.प्र. बलरामपुर थाना कोतवाली, आजमगढ़
2. संजय तिवारी चौ.प्र. एलवल, थाना कोतवाली, आजमगढ़
3. का0 सोनू कुमार यादव, थाना कोतवाली, आजमगढ़

4. का0 प्रमोद कुमार, थाना कोतवाली, आजमगढ़

थाना- कप्तानगंज

एक नफर वांछित अभियक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ   सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत   अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जनपद आजगमढ   श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर श्री महेन्द्र कुमार शुक्ला के कुशल निर्देशन में चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.02.2021 को व0उ0नि0 कृष्णानन्द प्रसाद मय हमराहियान हे0का0 संतोष यादव,का0 राकेश यादव के द्वारा वांछित व वारण्टी अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत एनबीडब्लू के आधार पर अभियुक्त के घर पर दबिश देकर अभियुक्त निरंकार पुत्र चन्द्रशेखर ग्राम अलौवा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को कारण गिरफ्तारी बताकर समय 10.15 बजे गिरफ्तार किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जाने हेतु रवाना किया गया।

थाना-रौनापार

एक नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ   सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत   अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) जनपद आजगमढ   श्री सिद्धार्थ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल निर्देशन में चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 08.02.2021 को थानाध्यक्ष रौनापार श्री नवल किशोर सिंह मय हमराह द्वारा वांछित/वारंटी अभियुक्तगण हेतु माननीय न्यायालय द्वारा निर्गत एनबीडब्लू के आधार पर वारंटी अभियुक्त अभियुक्त अच्छेलाल पुत्र मोहित सा0 फरिदपुर थाना रौनापार आजमगढ़ को अभि0 के घर फरिदपुर से समय लगभग 04.00 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार वारं   टी को नियमानुसार न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

थाना- मेहनगर

दुष्कर्म का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 16.01.2021को मेहनगर थाना क्षेत्र के वादी के लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 07/21 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त ओमप्रकाश राजभर उर्फ गोलू पुत्र फूलचन्द्र उर्फ फुल्लुर सा0 खजुरी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ बाबत खुद की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के संबंध मे पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 शिवप्रसाद मिश्रा के द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे अपर पुलिस आधिक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल प्रवेक्षण मे प्र0नि0 प्रशान्त श्रीवास्तव के निर्देशन उ0नि0 शिवप्रसाद मिश्रा मय हमराह मय मुखबीर के प्रस्थान कर मुखबीर द्वारा बताये गये सूचना कि मु0अ0सं0 07/21 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त जयनगर तिराहे पर खडा है तथा कही भागने के फिराक मे है कि मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान जयनगर तिराहे पर जैसे ही पहुचे तो चौराहे पर खडे व्यक्ति के तरफ इशारा करके मुखबीर हट बढ गया। मुखबिर द्वारा बताये गये व्यक्ति के पास जैसे ही पुलिस टीम पहुची तो पुलिस को देखकर अभियुक्त हडबडा गया व भागना चाहा कि हमराह कर्मचारीगण की मदद से घेरकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अपना नाम ओमप्रकाश राजभर उर्फ गोलू पुत्र फूलचन्द्र राजभर सा0 खजुरी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ बताया। अभियुक्त को उसके जुर्म अ0सं0 07/21 धारा 363/366 /376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट का बोध कराते हुए समय करीब 09.50 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 07/21 धारा 363/366/376 भादवि व ¾ पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त –

ओमप्रकाश उर्फ गोलू पुत्र फूलचन्द्र उर्फ फुल्लुर सा0 खजुरी थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 शिवप्रसाद मिश्रा मय हमराहियान के

<u>थाना सिधारी</u>

<u>एक नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार</u>

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर डा0 राजेश तिवारी व मा0 न्यायालय सी0जे0एम आजमगढ़ से प्राप्त वारण्ट अ0स0 156/17 बनाम परवेश कुमार धारा 128 सीआरपीसी तारिख पेशी 02.2.21निर्गत द्वारा न्यायालय प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ की तामिला हेतू प्रभारी निरीक्षक सिधारी विनय कुमार मिश्र के निर्देशन मे उ0नि0 जाफर खान मय हमराह हे0का0 गोविनद यादव उपरोक्त आदेश के क्रम मे दौलतपुर ग्राम पहुचे तो वारंटी प्रवेश कुमार पुत्र नागेन्द्र राम सा0 दौलतपुर थाना सिधारी आजमगढ़ उपरोक्त घर पर मौजूद मिला। अभि0 को वारण्ट दिखाकर कारण गिरफ्तारी वताकर समय करीब 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

<u>वारण्ट आदेश</u>

वारण्ट अ0स0 156/17 बनाम परवेश कुमार धारा 128 सीआरपीसी आजमगढ़

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

प्रवेश कुमार पुत्र नागेन्द्र राम सा0 दौलतपुर थाना सिधारी आजमगढ़

<u>गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम</u>

1. प्रभारी निरीक्षक विनय कुमार मिश्र थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

2. उ0नि0 जाँफर खाँ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़

3. हे0का0 गोविन्द यादव थाना सिधारी आजमगढ़